हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 15 अंक : 07 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 जुलाई, 2024

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

नैसकॉम व चैंबर ऑफ कॉमर्स व इंडस्ट्री के आपत्ति के बाद दूसरे ही दिन कर्नाटक सरकार ने फैसला वापिस लिया

कर्नाटक सरकार ने 50 प्रतिशत मेजेजमेंट कैडर की तथा 75 प्रतिशत नॉन मैनेजमेंट कैडर की नौकरियां स्थानीय लोगों के रिजर्व की थी

* सरकार को अंत में कहना पड़ा, नई रोजगार नीति को अभी लागू नहीं किया जायेगा और लागू करने से पहले नैसकॉम आदि औधोगिक संगठनों से पूर्णतया सलाह मशविरा व मंथन किया जायेगा।

* नैसकॉम का तर्क था कि अगर सरकार की नई रोजगार नीति लागू की गयी और रोजगार लगभग स्थानीय लोगों के लिये आरक्षित किये तो आई.टी. उधोग व इससे जुड़े स्टार्टअप्स का बेंगलोर से पलायन हो जायेगा और इस झटके से उबर पाना बहुत मुश्किल होगा।

नई दिल्ली। उद्योग एवं सुचना प्रौद्योगिकी संगठन, जो कर्नाटक में उद्योगों व व्यापारों के मालिक हैं तथा इनका सञ्चालन करते है, राज्य सरकार के उन निर्देशों के खिलाफ मजबूती से उतर आए हैं, जिसमे स्थानीय लोगों को नौकरी देना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे सरकार रक्षात्मक मुद्रा में आने को बाध्य हो गई है। राज्य से बिजनेस बाहर जाने की धमकी से परेशान होकर सरकार ने वादा किया कि व्यावसायिक एवं औधोगिकी प्रतिष्ठानों के साथ विचार-विमर्श होने तक नई रोजगार नीति का क्रियान्वयन रोक दिया जाएगा।

अग्रणी आई.टी.बॉडी, नैसकॉम तथा कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से जबरदस्त प्रतिक्रियाएं सामने आई, जिनमे उन प्रस्तावित कानून के कड़े विरोध का संकल्प लिया गया, जिसमे कर्नाटक के प्रतिष्ठानों एवं फैक्ट्रियों में स्थानीय लोगों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है।

इसके बाद सरकार ने कहा कि वह व्यापारिक एवं औधोगिक प्रतिष्ठानों एवं संगठनों के साथ विचार विमर्श किये बिना, प्रस्तावित कानूनों को लागू नहीं करेगी। नैसकॉम ने कहा कि वह प्रस्तावित, कर्नाटक स्टेट एम्प्लायमेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एक्ट बिल, 2024 से बहुत निराश है।

उसने आगे कहा कि अगर यह कानून लागू किया जायेगा, तो अनेक कंपनियां राज्य से बाहर जाने के लिए बाध्य हो जायेगी क्योंकि प्रतिभाएं मिलना मुश्किल हो जाएगा।

अगर राज्य में कर्मचारियों को नियुक्ति देने के प्रतिबन्ध लागू होते है तो आई.टी. क्षेत्र, जिसका राज्य की जी.डी.पी. में 25 प्रतिशत योगदान है, तथा जो देश के 25 प्रतिशत डिजिटल टेलेंट, 11000 स्टार्टअप तथा कुल जी.सी.सी. के 30 प्रतिशत हिस्से का केंद्र है, बुरी तरह प्रभावित होगा।

नैसकॉम ने कहा ''आज के जबरदस्त प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में, ज्ञान-विज्ञान की प्रमुख भूमिका वाले व्यसाय वहां जाएंगे, जहाँ प्रतिभा है, क्योंकि सफ्लता के लिए कुशल कर्मचारियों को आकर्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है। आज सारी दुनिया में कुशल प्रतिभाओं ''स्किल्ड टेलेंट'' की जबरदस्त कमी है तथा कर्नाटक, ''आई.टी.'' का बड़ा केंद्र होने के बावजूद, इसका अपवाद नहीं है। प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्र बनने के लिए दोहरी रणनीति आवश्यक है सारी दुनिया की सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आमंत्रण तथा फॉर्मल तथा वोकेशनल चैनलों के जरिये राज्य के अंदर एक मजबूत टेलेंट पूल बनाने के लिये केंद्रीयकृत निवेश''।

नैसकॉम ने कहा, ''इस प्रकार के कानून का आना बहुत व्याकुल तथा क्षुब्ध कर देने वाला है क्योंकि इससे केवल उद्योगों की ग्रोथ ही बाधित नहीं होंगी बल्कि इससे नौकरियां तथा राज्य की वैश्विक छवि भी प्रभावित होंगी नैसकॉम के सदस्य इस विधेयक के प्रावधानों को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है तथा सरकार से इस विधेयक को वापस लेने का आग्रह करते है।''

इस विधेयक के प्रावधान, विशेष रूप से ऐसे समय पर, जब बहुत सी वैश्विक कंपनियां 'जी.सी.सी.' राज्य में निवेश करने पर ध्यान दे रही हैं, राज्य की इस तरक्की को उलट कर देंगे, कंपनियों को राज्य से बाहर जाने के लिये बाध्य कर देंगे तथा स्टार्टअप्स का गला घोंट देंगे। इसके साथ ही ये प्रतिबन्ध कंपनियों को स्थान बदलने के लिये मजबूर कर देंगे क्योंकि स्थानीय कुशल प्रतिभाएं कम पड़ जायेगी।

फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष रमेश चंद लाहोटी ने भी सरकार पर प्रहार करते हुए कहा है कि वह व्यापारिक एवं औधोगिक प्रतिष्ठानों से विचार विमर्श किये बिना ही एक तरह नीति ला रही है। लाहोटी ने कहा कि अपने वर्तमान स्वरुप में इस नीति का असफ्ल होना सुनिश्चित है। उन्होंने बताया कि यहाँ स्थापित कंपनियों और फैक्ट्रियों को स्थानीय प्रतिभाएं मिलना बहुत मुश्किल होगा तथा वे उन पर थोपी जा रही शर्तों को पूरा नहीं कर पायेंगी। चैम्बर निश्चित रूप से सरकार से बातचीत करेगा, अपनी चिंताएं एवं सरोकार रखने के लिए और सरकार को इस कानून में ऐसे आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन करने के लिए तैयार करने के लिए, जो स्थानीय जनता के हित में हों।

उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार चैम्बर्स द्वारा दिये गये सुझावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने कह दिया है कि सरकार राज्य के व्यापार एवं उद्योग जगत के साथ शीघ्र ही इस बिंदु पर बातचीत करेगी कि ऐसा कौनसा सर्वोत्तम रास्ता है, जिस पर चल कर सरकार का स्थानीय लोगो की मदद करने का भी उद्देश्य पूरा हो सके तथा स्थानीय भाषा एवं संस्कृति का संरक्षण एवं उन्नयन हो सके।

राज्य के व्यवसाय एवं उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां, जैसे बायोकॉन की किरण मजूमदार शाह, ने भी नई श्रम एवं रोजगार नीतियों में सावधानी एवं सतर्कता बरतने पर जोर देते हुये कहा है, 'जहाँ एक प्रौद्योगिकी हब के रूप में कुशल प्रतिभाओं की आवश्यकता है तथा लक्ष्य स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है, वहीं हमें इस कदम के द्वारा टेक्नोलोजी में राज्य की अग्रणी स्थिति को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा ही जाना चाहिए कि उच्च स्तरीय कुशल कर्मचारियों की नियुक्तियां इस नीति से मुक्त रहें।

किरण मजूमदार शाह की सलाह पर प्रतिक्रिया देते हुये राज्य के आई.टी. मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक को लाने वाला श्रम विभाग है तथा इसे अभी इंडस्ट्री एवं ट्रेड बॉडीज के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है।

अध्यक्ष की कलम से

न तीन न तेरह

साथियों,

कई बार मन में विचार आता है कि हम काल के किस दौर में जी रहे हैं। अब तक पढा और सुना था कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। इसी को आदर्श मानकर हमने सविंधानिक शुचिता और न्याय निष्ठा का मार्ग चुना। प्राय: हर बार अदालत ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया लेकिन वह लागू नहीं हुआ ? और यदि हुआ तो इतना आंशिक कि चाहकर भी न तीन में गिन सकते हैं न तेरह में।

समता आंदोलन ने ऐसा क्या माँगा था जो 16 साल की अनवरत चेष्टा के बाद भी संघर्ष को मजबूर है? हमने माँगा कि पदोन्नति में आरक्षण बंद किया जाये। नहीं हुआ। जबकि नौ जजों की सविंधान पीठ (इंद्रा साहनी) और पांच जजों की सविंधान पीठ (एम नागराज) ने सालों की सुनवाई के बाद जो निर्णय दिए वे आज भी निर्णय की अलमारी में बंद हैं। और न्याय की खुली हवा में सांस लेने को बेचैन है।

यह तो तथ्यपरक है कि जाति आरक्षण को सरकारें देश की व्यवस्था पर धब्बा मानती हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जिन को वापस बोतल में डालेगा कौन? हाल के लोकसभा-24 के चुनावों में बहुत साफ संकेत मिल गये थे कि आने वाले समय में जाति आरक्षण का संतुलन हो जायेगा। लेकिन कथित विपक्ष ने अपनी तामसिक इच्छा को पूरा करने के लिये जाति जनगणना का एक नया जिन्न बोतल से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया और सारी आशा निराशा में बदल गई। फिर भी हम भारत की महान परम्परा से आशा करते है कि दोनों जिन्न फिर से बोतल में बंद कर दिए जायेंगे।

जय समता

सम्पादकीय

कुछ तो चूक हुई है

दुनिया बहुत पहले से है। विशेषकर हम सभी जब कभी दुनिया शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे मन पटल पर 204 देशों के लगभग 8 अरब लोग आते हैं। इन लोगों को सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी ने ''जन के रूप में मान्यता देकर -जनता द्वारा, जनता की, जनता के लिये सरकार -'' की परिभाषा देकर पूरी दुनिया को जनतंत्र या कहें लोकतंत्र शासन पद्धति का महामंत्र दिया। उस घटना को लगभग 175 साल हो गये है। और, कोई भी देश या विचारक अथवा धर्माधीश इस परिभाषा को बदल नहीं पाया है।

भारत ने 70-.75 साल पहले ही सम्प्रभुसत्ता संपन्न देश का गौरव प्राप्त किया है। इससे पहले यह धरती का टुकड़ा भर था। भारत अब्राहम लिंकन की परिभाषा को वैसा का वैसा अपनाकर अपने सविंधान में सरकार को परिभाषित करते हुए स्वीकारा -लोक कल्याणकारी सरकार''। इसके तहत 565 रियासतों और 2 रजवाड़ों का समापन हो गया। शुरू के वर्षों में ही सविंधान ने पिछड़ों को अगड़ा बनाने का जो लिखित आश्वासन दिया था उसमें हालाँकि अंतनिर्हित था कि 10 साल बाद यह आस्वाशन स्वत: निरस्त हो जायेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे भी अधिक चिंता की बात ये है कि इसी विषय को लेकर बड़ी अदालतों में समता आंदोलन द्वारा जो याचिका दायर की थी वह एक दशक से सुनवाई की प्रतीक्षा कर रही है ? कहीं न कहीं कुछ चूक हुई है।

कम से कम भारतीय जन गर्व से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को पहला लिखित सविंधान 'मनुस्मृति' के रूप में हमने दिया। यह मात्रा कथन नहीं तथ्य है कि मानव आचरण को सहिंताबद्ध करने का श्रेष्ठ और तथ्य . परक ग्रन्थ मनुस्मृति ही पूरी दुनिया के सविंधानों में कमोबेश 'बेस मेटेरियल' के रूप में विधमान है। लेकिन भारत ने अपना सविंधान लिखते समय जो वैचारिक प्रयोग किया आज वही हमारे लिये सबसे बड़ी समस्या है।

सविंधान सभा के 298, सदस्यों ने मनुस्मृति का यह सिद्धांत भुला दिया अधिक समर्थ और समझदार व्यक्ति को दूसरों के मुकाबले अधिक दंड दिया जायेगा। इसी का ये दुष्परिणाम है कि आरक्षण के क्रीमीलेयर वाले हो या दूसरे समर्थ लोग। उन पर अंकुश नहीं रह गया है।

एक तात्कालिक उदाहरण लें तो उत्तर प्रदेश में अपनी ही सरकार का विरोध करके उसे उस्थिर करने वाले मानव समाज को सवैंधानिक रूप से दो खेमों में बाँट देने की कीमत देश चूका रहा है। जिन्हे 72-75 साल गोद में खिलाया वे गोद से उतर कर अपने पाँवों पर चलने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ एक बड़ा जनबल हमेशा के लिये दायम दर्जे का बना दिया गया है। यह कितना दुखद और भयानक है कि प्रदेश में कुल 200 विधानसभा सीटों में से उनसठ (59) सीटों पर बहुमत वालों का चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं है।

कथित राजनैतिक पार्टियां इतनी बेशऊर हो गई है कि उनके पास 75 साल बाद भी जाति आरक्षण के अलावा कोई समेकित विषय है ही नहीं। इसलिए हम कहते है - कहीं न कहीं चूक हुई है।

जय समता

- योगेश्वर झाड़सरिया

क्या आरक्षण 50 प्रतिशत की सिमा को लांघ सकता है ? क्या सविंधान पीठ का एक निर्णय विषय को अंतिम मानने के लिये पर्याप्त नहीं है?

-पूर्व न्यायाधीश पानाचंद जैन -

आरक्षण की समस्या का लम्बा इतिहास है। आरक्षण का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज में सबसे पिछ? वर्ग के लोगों को भी विकास का लाभ मिल सके।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जावें तो पाएंगे कि विलियम हंटर व ज्योतिराव फुले ने 1883 में मूल रूप से जाती आधारित आरक्षण की प्रणाली 142 वर्ष पूर्व प्रारम्भ की थी। सन 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की घोषणा कर राजनीति में एक बवंडर ला दिया। इस विषय पर विचार करने व अपनी अनुशंसा देने को मंडल आयोग का गठन किया गया। मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशों का आधार 1971 की जनगणना और जाती आधारित पिछड़ेपन को अपनाया। मंडल आयोग ने इस क्रिया में आर्थिक पिछड़ेपन की बात छोड़ दी और उन धर्मों को भी अलग कर दिया जिनमे जाति व्यवस्था नहीं है।

आरक्षण के बाबत इंद्रा साहनी का केस एक ऐतिहासिक निर्णय है माननीय न्यायालय की सविंधान पीठ ने बहुमत से घोषित किया और माना कि धर्म निरपेक्ष समाज में पिछड़ेपन का आधार जाति को बनाया जाना उचित है। जाति के आधार पर पिछड़ेपन की पहचान की जा सकती है सविंधान के भाग 16 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये लोकसभा व विधान सभाओं के लिये स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था है। यह व्यवस्था केवल 10 वर्षों के लिये ही रखी गई थी। सविंधान के अनुच्छेद 334 में यह आदेशात्मक निर्देश था कि यह व्यवस्था 10 वर्ष बाद प्रभावी नहीं रहेगी। यह प्रावधान सविंधान का बेसिक स्ट्रक्चर का भाग था किन्तु दुर्भाग्य था कि इस 79 वे सविंधान संशोधन से संशोधित कर दिया। इसकी वैधानिकता का प्रश्न गत 25 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।

आरक्षण के बाबत सर्वोच्च न्यायलय ने इंद्रा साहनी व अन्य केसेज में जो सिद्धांत प्रतिपादित किये है वे निम्नलिखित है :-

1. अनच्छेद 16 (4) के अनुसार पिछड़े वर्ग के लोगो को आरक्षण केवल मात्र सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर ही दिये है, न कि आर्थिक आधार पर यानी जब तक अनुच्छेद 16(4) में व अनुच्छेद 1(5) में सवैंधानिक संशोधन नहीं होता आर्थिक आधार की श्रेणी में आरक्षण दिया जाना सम्भव नहीं है।
2. जो पिछड़ा वर्ग समय के साथ पिछड़ा नहीं रहा है, जिसे सर्वोच्च न्यायलय ने क्रीमीलेयर कहा है उसे अनुसूचित जाति व जनजाति से अलग किया जावे। वह देश की मूल धारा में माना जावेगा, किन्तु जिनका पिछड़ापन अभी शेष है उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा।
3. सविंधान की 9 वीं सूची में रखने मात्र से कोई अधिनियम वेध नहीं होगा, यदि उसकी वैधानिकता सविंधान के आधारभूत सिद्धांत, मूल अधिकारों के विरुद्ध होने से चुनौती दी जा सकती है।

यहाँ यह लिखना समीचीन होगा कि 50 प्रतिशत के आरक्षण का सिद्धांत मूल रूप से माना जावेगा, किन्तु असामान्य स्थिति में अपवाद हो सकता है जैसे किसी दूर दराज क्षेत्र में रहने वाला वशिष्ट व्यक्ति मूल धारा से अलग पिछडेपन में जी रहा है। इस बाबत सावधानी की आवश्यकता है। बालाजी के केस में 60 प्रतिशत आरक्षण को अवैध माना गया है छतारा संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 73 प्रतिशत को अवैध माना है। तमिलाडु के केस में 69 प्रतिशत आरक्षण था। उसे वेध करने के हेतु 9 वीं सूची में डाला गया था। एम नागराज के केस में सर्वोच्च न्यायलय ने पुन: यह स्पष्ट कर दिया कि 50 प्रतिशत से अधिक का आरक्षण वैध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कर दिया कि सवैंधानिक बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध होने पर 9 वीं सूची में डालने पर भी कानून वैध नहीं होगा। राजस्थान में आरक्षण 2008 के अधिनियम से 68 प्रतिशत किया गया था। वह वैध नहीं था। उसे 9 वीं सूची में भी नहीं डाला गया। यह भी सही था कि आर्थिक स्तर पर आरक्षण हो ही नहीं सकता। गुजरात में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाने पर पुन: बहस जोर पकड़ने लगी। यह आरक्षण वैधानिक नहीं था।

वोटों के लिये आरक्षण की मांग उठने लगी। हरियाणा की मांग 10 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग जाटों का आरक्षण की थी। गुजरात में 10 प्रतिशत आरक्षण आर्थिक आधार पर चाहा गया। यह आवाज उठने लगी कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं लोग मांग को लेकर तोड़-फोड़, दंगा करने पर सड़कों पर आ गये।

कुछ दिनों पूर्व ही बिहार विधानसभा ने कानून पारित किया कि 65 प्रतिशत आरक्षण बिहार के लोगों को जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी से है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट व शिक्षण संस्थानों के एड्मिशन में होना चाइये, किन्तु पटना हाई कोर्ट ने ऐसा आरक्षण देने से मना कर दिया और निश्चित सिद्धांत को दोहराया कि 50 प्रतिशत से अधिक का आरक्षण कानून वैध नहीं है। यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। बिहार सरकार का 85, प्रतिशत का आरक्षण कास्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 पर आधारित था। यह आरक्षण प्रोपोर्सनेट रिपरजेंटेशन के सिद्धांत पर आधारित था। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बिहार की 85 प्रतिशत आबादी एससी, एएसटी, ओबीसी की आँकी गयी थी। बिहार राज्य में 65 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की बात उठी, चूकिं यह 50 प्रतिशत की सिमा से अधिक था अत: हाईकोर्ट में चुनौती देने पर इस आरक्षण को वैध नहीं माना गया। पटना हाई कोर्ट ने बालाजी व इंद्रा साहनी के केस का आलंबन लिया। इस केस का स्पेशल सरकमटांसेज का केस भी नहीं माना गया। इंद्रा साहनी के 9 जजों की पीठ ने यह स्पष्ट करार दिया किन 50 प्रतिशत से अधिक की सीलिंग लिमिट को सविंधान के अनुच्छेद 16(1) व 16(4) की परिस्थितियों के आधार पर ही तय करना होगा। के कृष्णा मूर्ति बनाम भारत संघ के केस में यह और भी स्पष्ट कर दिया क्वान्टिफेबल डाटा उपलब्ध होने मात्र से सीलिंग लिमिट को क्रॉस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह कारण एक्सेपसनल सरकमटांसेज की परिभाषा में भी नहीं आते। माननीय पटना हाई कोर्ट ने राकेश कुमार व चेबोलू लिली प्रसाद राव के केसों के निर्णयों का भी परीक्षण किया और यह कहा कि ये केस केस डीएसएल लोकल सेल्फ गोवर्नेंस इंसटीट्यूशन के बाबत जहां आरक्षण पंचायतों के लिये है वहां लागू नहीं होते और अनुच्छेद 15(4) व 16(4) के अंर्तगत नहीं लाया जा सकता।

पटना हाई कोर्ट ने माना कि केस जनहित अभियान बनाम युनियन ऑफ इण्डिया के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के सिद्धांत के अनुसार यह स्वीकार किया कि इकोनोमिकलक विकर सेक्सन (ईडब्ल्यूएस)का आरक्षण जो आर्थिक कमजोर नागरिकों के हेतु था वह ईडब्ल्यूएस कोटा पर लागू नहीं होता क्योंकि वह केवल एससी, एसटी, ओबीसी पर लागू होता है, इसके अतिरिक्त 50 प्रतिशत लिमिट इन्फलेक्सिबल रूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मुख्य अंश इस प्रकार हैं :-

"Reservation for economically weaker sections of citizens up to 10% in addition to the existing reservations does not result in violation of any essential feature of the Constitution and does not cause any damage to the basic structure of the Constitution of india on account of breach of the ceiling limit of 50%. This is because that ceiling limit itself is not inflexible and in any case applies only to th reservations envisioned by Artivles 15(4), 15(5) and 16(4) of the Constitution of India. the Court observed in the EWS case.""

आरक्षण सामजिक न्याय के लिये है। यह माना जाता है कि धर्म आधारित मान्य नहीं है। सविंधान के प्रियंबल में भारत के लोगों ने भारत के ही लोगों को वचन दिया कि लोगों को सामजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय नहीं मिलेगा। इनमे सामजिक न्याय को प्राथमिकता दी गई। उच्च वर्ग में लोगों ने दलितों के साथ बहुत अत्याचार किये है, उन्हें धृणा की दृष्टि से देखा जाता था। हरिजन जब गांव में सफाई के लिये आता था तो उन्हें गले में बंधी हुई घंटी बजानी पड़ती थी, ताकि उच्च जाति के कहे जाने वाले लोग रास्ते से दूर हो जावे, कहीं हरिजन की छाया उन पर न पड जावे।

शेष पृष्ठ-- 3 पर

पौराणिक कथन : "दिश"

दसों दिशाओं के पति। भगवान भव की भीमा नामक छठी मूर्ति आकाश है। स्वर्ग इनका पुत्र है।

आज जाति के दंश झेलकर,
जो अतीत को भूल गये है।
ऐसे जन को कहें भला क्या-
खंडहर है कि भवन नये है।।

कविता

अपनी अपनी व्याख्याएं

हांए मैं थकता जा रहा हूं
खुद अपने बोझ से
वे सोचते हुए कहते हैं
ऐसा भी कभी होता है!
भला कौन थकता है
अपने हाथ पांव सिर के बोझ से?
मैंने कहा मैं हूं न सामने
अपने बोझ से थकता हुआ
वे मुस्कुरा कर कहते हैं
ये तुम्हारी अपनी व्याख्या है
बेतुकी और बेईमान जैसी ।
खीझ कर मैं पूछता हूं
और तुम्हारी व्याख्या क्या है!
वे ठठाकर हँसे और बोले .
सुनो, अपनी व्याख्या रखो मत
और न ही किसी की गिनो।
इतना कहकर वे चल दिए
मैं टुकुर-टुकुर देखता रहा
उनकी झुकी पीठ को
दोहरे होकर चलती दीठ को।।
अकस्मात मेरी चेतना जगी
जोर से चिल्लाई
सच में थकता जा रहा हूं
अपनी ज़ात उनकी बात
सरकारी बंदरबांट
सिर पर उल्टी रखी खाट
और संविधान की डांट से।
अचानक वे रुके
लौटकर मेरे पास आये
उनके चेहरे पर थी करुणा
किसी आधे अधूरे अनुभव की चमक
ठहरी और गंभीर आवाज में बोले
ओह! क्षमा करना
मैं समझ नहीं पाया
तुम तो सच में थक रहे हो
अपने ही बोझ से
जो है तो तुम पर
लेकिन तुम्हारा नहीं है।
– योगेश्वर–

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

सरकार को संविधान के दोनों मौलिक सिद्धांतों पर साथ-साथ ध्यान रखना चाहिए। प्रशासन की कुशलता और सभी के लिए अवसर की समानता। न्यायमूर्ति ए.पी.सैन ने कहा कि ''संविधान की प्रस्तावना में देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एवं समानता की बात की गई है।'' सामाजिक न्याय एवं समानता का लक्ष्य प्राप्त करते समय सरकार को सभी के हितों को समान रूप से ध्यान में रखना चाहिए। सरकार द्वारा किए गए अनुपयुक्त और पक्षपातपूर्ण प्रावधान से सामाजिक ढांचा धीरे-धीरे कमजोर हो जाएगा।

अनुच्छेद 16(4) में प्रयुक्त शब्दों की ओर संकेत किया है-यदि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य किसी समूह या वर्ग के लिए आरक्षण देश की कुल जनसंख्या में उसके अनुपात के अनुसार करने का होता तो वे स्वयं ये शब्द जोड़ सकते हैं-'के अनुपात में'।

एक ओर तो सरकारें लगातार घोषणा करती रहती हैं कि वे आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग के वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना सुनिश्चित कराएंगी, जबकि सरकारों द्वारा कार्यपालिका और विधायिका : दोनों ही स्तरों पर की जाने वाली काररवाई - जिसमें मलाईदार परत को बाहर नहीं किया जाता बल्कि पिछड़े वर्ग की सूची में और भी जातियों को शामिल कर लिया जाता है - से आरक्षण की व्यवस्था में गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही है।'

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने जाति-आधारित आरक्षण पर आशंका प्रकट करते हुए लिखा था कि ''इससे एक ओर तो जातिप्रथा को बढ़ावा मिलेगा और दूसरी ओर, हिंदू धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों के लोगों को आरक्षण के प्रावधान का लाभ नहीं मिल सकेगा; जबकि उनमें भी ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है, जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं।''

संविधान के मूल प्रारूप के अनुच्छेद 10 - जो आरक्षण से सम्बन्धित था - के प्रावधान पर संविधान सभा में अपने भाषण में डॉ. अंबेडकर ने स्वयं आगाह किया था कि समानता का सिद्धांत या कानून कहीं इतना व्यापक न हो जाए कि वह पूरे सिद्धांत या कानून को ही निगल जाए।

''आरक्षण की सीमा निर्धारित करना मूल रूप से सरकार के निर्णय-क्षेत्र में आता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि सरकार के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वस्तुत: आरक्षण का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों, जन जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाना ही होना चाहिए।

'' हालांकि उन्होंने सचेत भी किया कि पदोन्नति में आनुपातिक आरक्षण लागू करते समय सरकार को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि इससे प्रशासन की कुशलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ''यह बात भुलाई नहीं जा सकती कि प्रशासन की कुशलता और सक्षमता सर्वोपरि है, उसकी उपेक्षा करके किसी तरह का आरक्षण का भी प्रावधान नहीं किया जा सकता।

''अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को दिये जाने वाले समानता के मौलिक अधिकार का अपवाद है; और किसी मौलिक अधिकार के अपवाद को इतने व्यापक अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए कि उससे स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होने लगे।''

पृष्ठ-2 का शेष ---
आरक्षण में समानता का अधिकार (राइट ऑफ इक्विलिटी) सबको दिया है। सविंधान ने इक्वल ओपोरच्यूनिटी का अधिकार भी सबको दिया है। जैसा ऊपर कहा है। आरक्षण समानता के अधिकार का ही एक रूप है। आरक्षण सविंधान की देन है, उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार सविंधान की पालना सबको करना है। अभी अभी जो चुनाव देश में लोकसभा के लिये हुये उसमे सत्ता में जो पार्टी है उसके विरुद्ध इंडिया ग्रुप ने आरोप लगाये कि वह पार्टी आरक्षण व सविंधान समाप्त करना चाहती है, उसका परिणाम हुआ कि 400 पार के स्थान पर बहुमतए का आंकड़ा भी सत्ता पक्ष बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर सका। देश के सविंधान के अनुसार कोई भी पार्टी सविंधान भंग नहीं कर सकती और न आरक्षण ही समाप्त कर सकती है, क्योकि जो भी कार्य होंगे वे सब सविंधान के अनुसार ही होंगे। समता आंदोलन समिति आरक्षण की समालोचक है। इसका मानना है कि आरक्षण दलितों व पिछड़ों के हित में है तथा सामजिक समरसता के लिए आवश्यक है। इसके अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा है। कुछ दिनों पूर्व समिति का वार्षिक अधिवेशन था। अपने उद्बोधन में पाराशर नारायण शर्मा ने कहा कि वे सबके साथ समानता के व्यवहार के पक्ष में है। उनका मत है कि ओबीसी वर्ग में पिछड़ों व वंचितों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिये। वे चाहते है कि ईडब्लूएस के पाँचों मापदंड उन पर भी लागू हों तथा क्रिमीलेयर की व्यवस्था को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, में वंचितों और दलितों तक आरक्षण व सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। लेखक ने श्री पाराशर नारायण शर्मा के नाम का उल्लेख इसलिए किया कि वे समता आंदोलन समिति से जड़े हुये है और उनके उपरोक्त विचारों से सहमत है।

इस लेख में लेखक ने पटना हाई कोर्ट के निर्णय का उल्लेख इसलिये किया है कि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णयों का उल्लेख है, जहाँ उन्होंने 50 प्रतिशत अधिक आरक्षण का अवैध करार दिया है और स्पष्ट किया है कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण वर्तमान आरक्षण से भिन्न है जो एससी-एसटी के आरक्षण पर लागू है और ईडब्ल्यूएस कोटा इससे भिन्न है तथा इसे भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आलंबन प्राप्त है। पटना हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में पेश की जा चुकी है। प्रश्न है जब उपरोक्त रेफ्र किये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सैध्दांतिक रूप से 50 प्रतिशत से अधिक की सीमा को अवैध करार दे चुके है तथा ईडब्ल्यूएस के अतिरिक्त आरक्षण को भी अपहोल्ड सुप्रीम कोर्ट कर चूका है तो अपील में (एसएलपी)में क्यों केस को मेरिट पर पुन: सुना जावे ? इंद्रा साहनी व एस नागराज तथा जनहित अभियान का निर्णय इस विषय पर अंतिम माने जाने चाहिये, क्योंकि ये सभी निर्णय सविंधान पीठ के है। निर्णयों की फाइनलटी को भी अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित निर्णय के मूल अधिकार का भाग माना जावे लेखक की यह प्रार्थना है।

पिछे लौटे सिद्धारमैया

यह सुकून की बात है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने क्षेत्रियता के आधार पर लाया गया अपना आरक्षण बिल वापस ले लिया है। समझ पाना कठिन है कि उन्होंने अपने आप को, पार्टी कांग्रेस को और चुनी हुई सविंधान सम्मत सरकार को अपमानित करवाने के लिये इतना उतावलापन क्यों दिखाया जबकि कर्नाटक में अभी किसी तरह के कोई बड़े चुनाव नहीं है।

कोई भी मुख्यमंत्री बनते समय समाज, सविंधान और कानून के प्रति निष्पक्ष रहने की जो शपथ लेता है कर्नाटक में उसका अपमान हुआ है। आश्चर्य की बात ये है कि वरिष्ठ और अनुभव सिद्ध नेता ये कैसे भूल गए कि उनकी सरकार से पहले पांच राज्यों क्रमश: हरियाणा, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, और महाराष्ट्र की सरकारें ऐसा प्रयास कर चुकी हैं लेकिन कहीं अदालत ने रोक लगा दी तो कहीं उन पर काम ही नहीं हुआ।

असल भारत का संघीय ढांचा इस तरह से क्षेत्रीय आरक्षण को बिलकुल भी मान्यता नहीं देता है। बल्कि सच तो ये है कि आरक्षण के मानदंडों में क्षेत्रीयता का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसलिये महाराष्ट्र में लाखों लोगों की रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल के बाद भी यह लागू नहीं किया जा सका है।

प्रत्येक राज्य सरकार अपने सविंधान के विपरीत काम को नौवीं अनुसूची में डलवाने का शोर भी मचाती है। लेकिन ये सब मात्र दिखावा होता है। क्योंकि सभी प्रदेशों द्वारा दिया गया आरक्षण संविधान सम्मत न होकर राजनीति से प्रेरित होता है जो भारत की किसी भी अदालत में टिक नहीं पाता है। और केवल घोषणा ही रह जाती है।

खास बात ये कि छ: प्रदेश की सरकारों ने क्षेत्र के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश तो की लेकिन वे 'क्षेत्रियता' की कोई सार्वभौम परिभाषा केंद्र से निर्धारित नहीं करवा सकी हैं। यह देश के लिये गंभीर विषय बनता जा रहा है।

अग्निवीरों को आरक्षण

भयंकर विवादों में घिरी सेना भर्ती की अग्निवीर योजना पर लोगो का गुस्सा शांत करने के लिये हरियाणा सरकार ने पहल की है। यह पहला प्रदेश है जिसने अग्निवीर पद से रिटायर हुए सैनिकों को नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण की योजना लागू की है।

हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस आरक्षण की घोषणा की है उन्होंने बताया कि अग्निवीरों को कॉन्स्टेबल, माइनिंग गार्ड, फोरेस्ट गार्ड, जेल वॉर्डन और एस पी ओ की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।

ग्रुप सी और डी की भर्तियों में तीन साल की छूट भी मिलेगी। ग्रुप सी की भर्ती में 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। साथ ही बिना ब्याज वाला पांच लाख तक का लोन भी दिया जायेगा। इस घोषणा से पहले पैरामिलिट्री सी आई एस एफ और बी एस एफ अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण का ऐलान किया था।

अग्निवीर योजना 14 जून 2022 से लागू हुई है और इसके जवानों का कार्यकाल मात्रा चार साल होता है। लेकिन इनकी कार्यकुशलता के आधार पर 25 प्रतिशत को सेना में स्थाई नौकरी का प्रावधान भी है।

भारत सरकार पहले ही अग्निवीरों को पैरामिलिट्री फोर्स में 10 प्रतिशत रिजर्वेशन का ऐलान कर चुकी है।

10 फीसदी सीटें रहेंगी सुरक्षित

भारतीय सेना से रिटायर होने वाले अग्नि वीरों को केंद्रीय सुरक्षा बलों की भर्ती में छूट दी जाएगी। केंद्रीय सुरक्षा बलों की भर्ती में अग्नि वीरों के लिए 10 प्रतिशत सीटें सुरक्षित रहेंगी। पहले के बैच में 5 साल की वहीं बाद के बैच में 3 साल की छूट दी जाएगी इसके साथ ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी छूट दी जाएगी। सभी केंद्रीय सुरक्षा बलों की ओर से भी इस फैसले को लागू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है।

बिहार- एससी लिस्ट से तांती-तंतवा बाहर

सुप्रीम कोर्ट ने नीतिश कुमार को तगड़ा झटका देते हुए 2015 में तांती-तंतवा को ईबीसी से निकालकर एससी में शामिल करने के संकल्प को रद्द कर दिया है। 9 साल में ऐसी भर्ती के पद खाली करके एससी को लौटाना होगा।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एससी लिस्ट में किसी जाति का नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार राज्य के पास नहीं है और यह काम सिर्फ संसद कर सकती है। कोर्ट ने नीतिश सरकार के फैसले को संविधान से शरारत बताते हुये अवैध करार दिया और कहा कि एससी लिस्ट में दूसरी जाति को जोड़ने से अनुसूचित जाति के लोगों की हकमारी होती है। कोर्ट ने साफ कहा कि संविधान के आर्टिकल 341 के तहत राज्य को अनुसूचित जाति की सूची में छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तांती-तंतवा जाति वापिस अति पिछड़ा वर्ग में शामिल होगी। फैसले से एससी में शामिल जातियों के लिए दाखिला, रोजगार और प्रमोशन में कुछ अवसर बढ जायेंगे।

कोर्ट ने राज्य सरकार के 1 जुलाई 2015 के संकल्प को रद्द करते हुये आदेश दिया है कि इन नौ सालों में तांती-तंतवा जाति के जिन लोगों को भी एससी कोटे से आरक्षण का लाभ मिला है उन्हें ईबीसी कोटा में समायोजित किया जाए और इससे खाली होने वाली सीटों और पदों का एससी जाति के लोगों से भरा जाए। डा. भीमराव आंबेडकर विचार मंच और आशीष रजक की याचिका पर जस्टिस विक्रम नाथ और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।

राज्य सरकार के संकल्पप को याचिका दायर करने वालों ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन राहत नहीं मिली। राज्य सरकार की ओर से मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुये अपना पक्ष रखा था ।

समता आन्दोलन की कार्यशैली पूरी तरह संवैधानिक: पाराशर

समता आंदोलन वास्तविक पिछड़ों का ज्यादा हितैषी

करौली। समता आन्दोलन समिति के उद्देश्यों को जन-जन तक पहुंचाने के आव्हान के साथ समता आंदोलन समिति का 17 वां स्थापना दिवस करौली के श्याम मैरिज गार्डन विवेक विहार कॉलोनी में हुआ।

मुख्य अतिथि समता आन्दोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा थे। जिन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि समता के उदेश्यों को प्राप्त करने के लिए हमारी कार्यशैली पूरी तरह विधि सम्मतए सवैंधानिक व शांतिपूर्ण गतिविधियों के रूप में है। कुछ स्वार्थी और संकुचित लोगों ने हमें बदनाम करने के लिए हमारे आंदोलन कको पिछड़ों के खिलाफ होने का दुष्प्रचार करते हैं। जबकि हम वास्तव में पिछड़ों के ज्यादा हितैषी हैं।

संभागीय युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष योगेश शर्मा ने समता आंदोलन के उदेश्यों को बताया। कहा कि समता आंदोलन एक राष्ट्रवादी संगठन है जिसका उदेश्य देश में समतावादी व्यवस्था लागू करना है। राम निरंजन गौड़ ने समता आंदोलन की स्थापना व 17 वर्ष पूरे होने तक संघर्ष और सफलता पर प्रकाश डाला।

जिलाध्यक्ष भरतपुर केदार नाथ पाराशर ने उपस्थित सदस्यों से समता आंदोलन के उदेश्यों को जन .जन तक पहुंचाने का आव्हान किया। विप्र फाउंडेशन जॉन डी वन के प्रांतीय अध्यक्ष वेद प्रकाश उपाध्याय ने आगामी स्थापना दिवस को करोली में मनाने को संकल्प व्यक्त किया।

कार्यक्रम के दौरान समता आंदोलन के 15 सदस्यों ने स्थायी सदस्यता स्वीकार की।

इस अवसर पर नरेश सिंह, श्याम सिंह नरुका, रणवीर सिंह, पुरुषोत्तम शर्मा, योगेश शर्मा, राजेंद्र व्यास, रमाकांत शर्मा, बबलू शुक्ला, वीरेन्द्र शर्मा, महेंद्र सुरौठिया, भरोसी स्वर्णकार, हरिओम चतुर्वेदी, राजू सिंह डागुर, गोपाल सिंह रोजवाल, दिनेश चतुर्वेदी, कृष्ण कुमार हरदेनिया, मिथलेश शर्मा, रमेश चंद शर्मा, रतन चतुर्वेदी, ईश्वरी शरण शर्मा, अरविन्द शर्मा, श्याम शर्मा, यशवेंद्र शर्मा, गौरव शर्मा, शिव सिंह युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र सिंह, रामगोपाल शर्मा, नरेंद्र सिंह, शांतनु पाराशर व प्रकाश शर्मा आदि उपस्थित थे।

अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग में क्रिमीलेयर व्यवस्था लागू होनी चाहिये- पाराशर

जोधपुर। समता आंदोलन का वार्षिक सम्मेलन लघु उद्योग भारती भवन भगत कोठी में आयोजित किया गया।

सम्मेलन में समता आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हमें आजादी के अमृत महोत्सव काल के दौरान तीन ऐसी मांगे पूरी करने का निवेदन किया है जो कि राष्ट्रीय हित में हैं, और सामाजिक समरसता के हित में हैं।

पहली मांग के लिये उन्होंने बताया कि पदोन्नति में जातिगत आरक्षण को तत्काल बंद किया जाए ताकि लोक प्रशासन में जातिगत गुटबाजियां और जातिगत दुर्भावना के आधार पर किए जा रहे भ्रष्टाचार पर रोक लग सकें।

दूसरी मांग के लिए उन्होंने कहा कि ओबीसी का उपवर्गीकरण तत्काल किया जाना चाहिए ताकि ओबीसी वर्ग में वास्तविक पिछड़ों और वंचितों को आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकें। इसके अलावा ओबीसी में ईडब्लूएस के पाँचों मानदंड भी लागू किये जाने चाहिए।

इसके साथ ही क्रीमीलेयर की व्यवस्था को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में भी लागू किया जाए ताकि अजा और अजजा में वंचितों और दलितों तक आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सकें।

राजनितिक आरक्षण के बारे में शर्मा ने कहा कि हमारी सर्वोच्च न्यायलय में 1999, 2009 और 2019 के वर्षों में दायर की गई याचिकाएं लंबित हैं। सर्वोच्च न्यायालय को इन याचिकाओं का निस्तारण तत्काल करते हुए विधायिका में जातिगत आरक्षण को तत्काल बंद कर देना चाहिए या इसे रोटेशन के आधार पर चालू कर देना चाहिए या इसे टिकटों के आरक्षण के रूप में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए ताकि ओबीसी और सामान्य वर्ग के राष्ट्रभक्त नागरिकों के मूल अधिकारों का 75 सालों से हो रहा हनन रोका जा सकें।

सम्मेलन को जयपुर से पधारे संभागीय अध्यक्ष त्रिपराज राठौर, नगर अध्यक्ष रामप्रकाश सारस्वत, चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. श्याम सुन्दर सेवदा, राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा, कर्मचारी नेता शम्भूसिंह मेड़तिया, मंडलदत्त जोशी और कोटा संभाग के सचिव कमल सिंह बड़गुजर आदि ने भी सम्बोधित किया। मंच सञ्चालन जोधपुर संभागाध्यक्ष इंजीनियर कैलाशसिंह राजपुरोहित ने किया।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in